



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1792/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
गिराज प्रसाद शर्मा बिजासन नगर] टोल टैक्स] बक्सावाला रोड] टोंक रोड, Jaipur ,Rajasthan		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग Jaipur

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 11/04/2018

1. अपीलार्थी उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री अनिल वर्मा, कनिष्ठ सहायक, उपस्थित।
3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 17-7-17 के द्वारा वर्ष 2016-17 में जनरल पब्लिकेशन के प्रिंटिंग हेतु जारी किये गये टेण्डरों के बारे में 22 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने निवेदन किया कि उन्हें अभी तक वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर दिनांक 10-4-18 प्रस्तुत किया जिसे अभिलेख पर लिया गया। निवेदन किया कि पत्र दिनांक 6-4-18 से अपीलार्थी को निःशुल्क सूचना प्रदान कर दी गई है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 10-4-18 प्रस्तुत किया, से प्रत्यर्थी द्वारा पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।
7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 6-4-18 के साथ संलग्नक नहीं होने के कारण यह स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलार्थी के आवेदन के अनुकूल वर्ष 2016-17 में जनरल पब्लिकेशन की प्रिंटिंग के सम्बन्ध में सूचना प्रेषित की गई है अथवा नहीं। प्रत्यर्थी भी इस सम्बन्ध में सुनवाई के दौरान कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। अतः अपीलार्थी की प्रतिक्रिया उचित प्रतीत होती है।

8. प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में अपीलार्थी को स्पष्ट एवं सटीक सूचना अभिलेखानुसार अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर, निःशुल्क जरिये पंजीकृत डाक भिजवाना सुनिश्चित करें।
9. अस्तु, वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है।
10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त